

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/ 26/5 दिनांक : 30.10.2015

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
 - उप नगर नियोजक, उदयपुर
 - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
 - सहायक नगर नियोजक, जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	76
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	63
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये	06
04.	निरस्त प्रकरणों की संख्या	03
05.	स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को अधिकृत किया	04

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Xh KSD 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2616-18 दिनांक : 30-10-15

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

Xh KSD 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2619-79 दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक, अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ़ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूमबर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

Xh KSD 30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2557-63 दिनांक : 30.10.2015

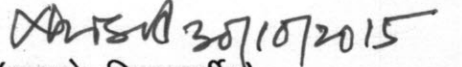
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषय:-नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

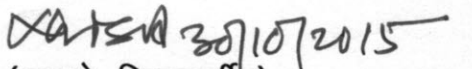

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2564-2614 दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक, अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ़ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डुंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।


(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

एजेण्डा नं. 41/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/गंगापुरसिटी

शहर कस्बे का नाम	गंगापुरसिटी
1. आवेदक का नाम	श्री अजीज पुत्र बशीर खां
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 1247/127, 1248/128 कुल रकबा 0.21 है. में से 2448.89 वर्गगज
3. क्षेत्रफल	2047.57 वर्गमीटर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2016)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि गंगापुरसिटी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2016 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2016 दिनांक 12.05.2000 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि जयपुर-नादोति बाई पास पर स्थित है। मुख्य बाई पास सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। मौके पर भूमि रिक्त है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भाष्कर न्यूज में दिनांक 06.11.2014 संशाधित आपत्ति सूचना दिनांक 29.11.2014 को प्रकाशित करवाई गई, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 13.12.14 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि जयपुर-नादोति बाई पास पर स्थित है। मुख्य बाई पास सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 100 फीट में सड़क हेतु आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुरसिटी एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 1247/127, 1248/128 कुल रकबा 0.21 है. में से क्षेत्रफल 2047.57 वर्गमीटर भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि जयपुर-नादोति बाई पास पर स्थित है। मुख्य बाई पास सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 100 फीट में सड़क हेतु आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।
2. भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
3. व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाइट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार पूर्णगठन की एवं अन्य देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

(Signature)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 42/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/बारां

	शहर कस्बे का नाम	बारां
1.	आवेदक का नाम	श्री विजय कुमार गालव पुत्र श्री नन्द लाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बारां के खसरा नं. 583 रकबा 0.50 है. में से 766.42 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.0766 है0
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2033)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, बारां के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :- 1. प्रश्नगत भूमि बारां नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2033 में आवासीय व व्यावसायिक दर्शित है। मास्टर प्लान-2033 दिनांक 23.01.14 को लागू किया गया। जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। आवेदित भूमि मुख्य सड़क (रेलवे क्रॉसिंग से धर्मादा चौराहा को मिलाने वाली) पर स्थित है। जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि सड़क के मध्य से 40 फीट छोड़ने के उपरान्त 20 फीट गहराई तक सामान्य, वाणिज्यिक व शेष भाग आवासीय प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान में दर्शित है। जिसका आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। नगर पालिका द्वारा 1988 में आवासीय पट्टा जारी किया गया है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, बारां द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व पत्रिका ब्यूरो में दिनांक 23.11.11 प्रकाशित करवाई गई, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, बारां द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 17.11.14 में कतिपय शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	प्रस्ताव :- उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि मुख्य सड़क रेलवे क्रॉसिंग से धर्मादा चौराहा पर स्थित है। जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित है। सड़क के मध्य से 40 फीट छोड़ने के उपरान्त 20 फीट गहराई तक सामान्य, वाणिज्यिक व शेष भाग आवासीय प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान में दर्शित है। जिसका आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। अतः सड़क के केन्द्र से 40 फीट में सड़क हेतु आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, बारां एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, बारां एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम बारां के खसरा नं. 583 रकबा 0.50 है. में से 766.42 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदित भूमि मुख्य सड़क रेलवे क्रॉसिंग से धर्मादा चौराहा पर स्थित है। जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित है। सड़क के मध्य से 40 फीट छोड़ने के उपरान्त 20 फीट गहराई तक सामान्य, वाणिज्यिक व शेष भाग आवासीय प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान में दर्शित है। जिसका आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है। अतः सड़क के केन्द्र से 40 फीट में सड़क हेतु आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा नगर परिषद के हक में निःशुल्क समर्पण किया जाना होगा। भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
2. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाईट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार पूर्णगठन की एवं अन्य देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
4. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
5. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

(Signature)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 43/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/अन्ता

शहर कस्बे का नाम	अन्ता
1. आवेदक का नाम	मोटर मार्केट कल्याण संस्थान, अन्ता
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम अन्ता के खसरा नं. 1574
3. क्षेत्रफल	1.68 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	1. प्रश्नगत भूमि अन्ता नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 27.01.2001 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि मास्टर प्लान में वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। आवेदित भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग-76 बांरा रोड पर स्थित है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। आवेदित भूमि में से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है। 2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता द्वारा सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 24.08.2011 को प्रकाशित कराई गई है। 3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता द्वारा वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण पट्टी से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा के पत्र दिनांक 15.11.2011 में कतिपय शर्तों के अधीन आवेदित भूमि का वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण पट्टी से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है। 5. प्रकरण को भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 127 वीं बैठक दिनांक 19.06.2012 में प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है। तथा अन्य शर्तों के साथ शर्त संख्या 1 में मास्टर प्लान अनुसार निर्धारित सड़क मार्गाधिकार पश्चात् वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जाने का निर्णय लिया गया है। जो राज्य सरकार से अनुमोदित हो चुका है। 6. उक्त लिए गये निर्णय के क्रम में निकाय द्वारा पत्र दिनांक 18.10.2012 अनुसार निवेदन किया गया है कि सड़क के पश्चात् वृक्षारोपण पट्टी रखे जाने पर संस्थान के सदस्यों को पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होती है। 7. उक्त संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा के पत्र दिनांक 13.12.2013 द्वारा प्रस्तुत राय अनुसार मोटर मार्केट कल्याण संस्थान अन्ता के सदस्यों की संख्या एवं उक्त योजना में संस्थान द्वारा भूखण्डों की मांग/आवश्यकता को देखते हुये वृक्षारोपण पट्टी छोड़ने की शर्त विलोपित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। 8. उक्त अनुसार प्रकरण को 132 वीं बैठक दिनांक 18.12.2012 में प्रस्तुत किया गया है। तथा निर्णय लिया गया की आवेदित भूमि से लगते हुये आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भूमि का चयन कर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके संबंध में पालिका द्वारा निवेदन किया गया है कि एन एच 27 इस भूमि से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में निकल चुका है। तथा यह भूमि राजमार्ग के लिंग रोड़ के सहारे स्थित हैं। तथा पालिका के पास उक्त स्थान के पास अन्यत्र कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। जिसका मोटर मार्केट के लिए आवश्यकता अनुसार चयन किया जा सकें। 9. प्रकरण को 136 वीं बैठक दिनांक 17.07.2013 में प्रस्तुत किया गया है। तथा वृक्षारोपण पट्टी की शर्त को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:- • वृक्षारोपण पट्टी में व्यावसायिक मोटर मार्केट का ओचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह भी जानना वांछित हैं कि क्या सभी व्यवसायियों के लिए दुकानें उपलब्ध हो जायेगी। तथा शहर की मुख्य सड़क पर स्थित शहर से मोटर व्यवसाय शिफ्ट हो जायेगा। 10. उक्त संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा के पत्र दिनांक 06.01.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष मोटर मार्केट कल्याण संस्थान अन्ता द्वारा नगर पालिका को लिखित में अवगत कराया गया है कि मोटर मार्केट व्यवस्थित होने तथा सभी सदस्य मोटर मार्केट में विस्थापित हो जाने से अपना व्यापार प्रस्तावित मोटर मार्केट पर भी करेंगे अन्यथा नहीं। अतः वृक्षारोपण पट्टी की शर्त विलोपित किया जाना उचित होगा। 11. नगर पालिका के पत्र दिनांक 04.04.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि 106 सदस्यों के अतिरिक्त मोटर मार्केट व्यवसाय करने वाले अन्य कोई व्यवसाय नहीं हैं।

8.	प्रस्ताव :- बिन्दु संख्या 7 के उपरोक्त 11 बिन्दुओं के मद्देनजर प्रकरण में 136 वीं बैठक दिनांक 17.07.2013 में लिये गये निर्णय अनुसार वृक्षारोपण पट्टी की शर्त को विलोपित किया जाना उचित होगा।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के अध्याधीन राजस्व ग्राम अन्ता के खसरा नं. 1574, क्षेत्रफल 1.68 हैक्टेयर भूमि का वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में पर्यावरणीय दृष्टि से 15 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

- मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। अतः सड़क के केन्द्र से 100 फीट चौड़ी भूमि में आने वाली सड़क का निःशुल्क समर्पण किया जावेगा, तथा 15 मीटर के वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जावेगी। जिसमें सघन वृक्षारोपण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त यह वृक्षारोपण पट्टी अन्य किसी उपयोग में नहीं ली जावेगी।
- भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किये जावेगे।
- योजना के भूखण्डों पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाइट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन किया जावेगा।
- योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
- योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
- निकाय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित उपयोग से उत्पन्न होने वाले सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर अनुसार संतोषजनक ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
- मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

(Signature)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजधानी रास्ता, जयपुर